भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4180

29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

यात्री वाहनों का उत्पादन

4180. श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यह अनिवार्य बनाने का विचार है कि यात्री वाहनों के कुल उत्पादन में से 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों का उत्पादन किया जाए ताकि महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बचाने के साथ-साथ कच्चे तेल के आयात के लिए कम भुगतान करना पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई देशों ने पहले ही भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन अनिवार्य कर दिया है, इस संबंध में क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग): जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

ii. सरकार ने बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु दिनांक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 18,100 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 12 मई, 2021 को मंजूरी दी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस स्कीम को कुल 25,938 करोड़

रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

*****